

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 526

दिनांक 23/02/2024

प्रार्थी :-

1. ठाकराराम पुत्र पुरखाराम
जाति मेघवाल, निवासी उपरला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. सदराम पुत्र सूडाराम 2. बुधराम 3. रमेशकुमार पि. पूनमाराम
4. श्रवणी पत्नि पूनमाराम 5. तेजाराम 6. माधाराम पि. हरखाराम
7. सोनाराम पुत्र लाखाराम, जाति विष्णोई 8. धुड़ाराम पुत्र
बुधाराम, जाति जाट 9. हीराराम 10. जोगाराम 11. अमेदाराम पि.
पोकरराम 12. बांकाराम पुत्र किशनाराम, जाति मेघवाल,
निवासी उपरला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 15/2024

दिनांक : 22.02.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र
उपरला के मौजा उपरला के खेत खसरा सं. 174 रकबा 02.7519 हैक्टर एवं खसरा सं. 216
रकबा 01.2869 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय
का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत
तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित
पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये
500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 527 to 530

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी ठाकराराम
3. विप्रार्थीगण सदराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 23/02/2024



(सूरजधर विष्णोई)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन